उत्तर प्रदेश में कुपोषण एवं खाद्य सुरक्षा कानून – लोक राजनीति का परिणाम

अभय सिंह
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग
बी0बी0ए0यू0, लखनऊ
Email - abhayasinghbbau@gmail.com
Mobile No.09453234617

साराशं

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को परिभाषित करती है। अपने जीवन के लिये हर किसी को निर्धारित पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि भोजन की जरूरत नियत समय पर पूरी हो। इसका एक पक्ष यह भी है कि आने वाले समय की अनिश्चितता को देखते हुये हमारे भण्डारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज सुरक्षित हों, जिसे जरूरत पड़ने पर तत्काल जरूरतमंद लोगों तक सुव्यवस्थित तरीके से पहुचाया जाये। हाल के अनुभवों ने सिखाया है कि राज्य के अनाज गोदाम इसलिये भरे हुए नहीं होना चाहिए कि लोग उसे खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक सुरक्षा के नजरिये से अनाज आपूर्ति की सुनियोजित व्यवस्था होना चाहिए। यदि समाज की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी तो लोग अन्य रचनात्मक प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभा पायेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार का दायित्व है कि बेहतर उत्पादन का वातावरण बनाये और खाद्यान्न के बाजार मूल्यों को समुदाय के हितों के अनुरूप बनाये रखे। इस स्थिति को हासिल करने के लिये उत्पादन व्यवस्था को बाजार के बजाये समाज के प्रति जवाबदेय जरूरत है। इसके बिना भुखमरी से मुक्ति और खाद्य सुरक्षा की स्थिति को पा पाना संभव नही है। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा में मजबूती से सुधार के लिए यह काफी हद तक खाद्यान्न से सम्बंधित नीति नियन्ताओं द्वारा लागू किए गए सब्सिडी व्यवस्था, मूल्यो, रोजगार कार्यक्रमों व लागू किए गए योजनाओं में भी सुधार आवश्यक है।

भारत में मौजूदा सभी सुरक्षा तंत्र के कल्याणकारी कार्यक्रमों में गरीबों के कवरेज के लिए सब्सिडी युक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है। इस शोध पत्र में उत्तर प्रदेश में कुपोषण एवं खाद्य सुरक्षा की एक तुलनात्मक समीक्षा की गई है तथा इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उसके प्रंबंधन से सम्बन्धित सभी मुद्दों, विफलताओं तथा सुधारों की गुजांइश का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द – मूलभूत अधिकार. भुखमरी. कल्याणकारी कार्यक्रम. सब्सिडी. कुपोषण

परिचय

लोक कल्याणकारी राज्य वह हैं, जो हर स्थिति में अपने नागरिकों की सुरक्षा करें। खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता का ही मामला नहीं हैं, बल्कि हर घर के प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त पौष्टिक भोजन प्राप्त करने से भी और आगे तक है। शरीर में पोषण के लिए पौष्टिक भोजन का अवशोषण आवश्यक है। इसके लिए सुरक्षित पीने का पानी, शौचालय की सुविधा तथा अच्छी

स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता पहुॅच और अवशोषण के साथ विश्लेषण किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण अवयवों के रुप में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में भोजन के अधिकार के इन्हीं महत्वों को रेखाकिंत किया है। सत्तर के दशक में जनता ने अकाल का दौर देखा और अमेरिकी लाल गेंहूॅ से भूख मिटाने के बाद हरित क्रान्ति ने हमें खाद्यान उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन फिर भी शहरो में हमें कूड़े से खाना बटोरती गरीबी के चित्र अक्सर देखने को मिल जाते हैं, यदा कदा भूख से होने वाली मौतों की खबर भी आती रहती हैं। जिला स्तर पर सरकार के नुमाइंदे इसे भूख से मौत नहीं मानते और पब्लिक बडे ही दावे के साथ मौत के लिए भूख को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। वैसे तो हर राज्य की सरकारें भूख से होने वाली मौत के लिए सीधे तौर पर जिलाधिकारी को ही जिम्मेदार ठहराती हैं।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में खाद्य असुरक्षा का फैलाव कुछ प्रमुख जिलों जिनमें दक्षिणी क्षेत्र में बुन्देलखण्ड, महोबा, हमीरपुर आदि मध्य के क्षेत्रों में ललितपुर, पीलीभीत से लेकर मध्य गंगा के क्षेत्रों में महाराजगंज तक फैला हुआ है। बगल के जिलों सोनभद्र और मिर्जापुर तथा पूर्वी क्षेत्र बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, महामायानगर आदि खाद्य असुरक्षा से ग्रसित क्षेत्र भुखमरी व कुपोषण से ग्रसित क्षेत्रों को इंगित करते है।

उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से 28 जिलों में सरकार को अपनी नीतियों में खाद्य सुरक्षा देने के लिए प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इन जिलों में अनुसूचित जाति की आबादी कम मजदूरी दरों के साथ खेतिहर मजदूरों के उच्च अनुपात कुपोषित तथा कम वजन के बच्चे व महिला साक्षरता दर भी काफी कम है।

खाद्य सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले उत्तर प्रदेश के जिल[i] –

मध्य क्षेत्र	**पूर्वी क्षेत्र**	**दक्षिणी क्षेत्र**	**पश्चिमी क्षेत्र**
फतेहपुर	बहराइच	बांदा	अलीगढ़
हरदोई	बलरामपुर	चित्रकूट	औरैया
कानुपर देहात	कौशाम्बी	हमीरपुर	बुलन्दशहर
लखीमपुर खीरी	महराजगंज	झांसी	फर्रुखाबाद
रायबरेली	मीरजापुर	ललितपुर	हाथरस
सीतापुर	श्रावस्ती	महोबा	पीलीभीत
उन्नाव	सिद्धार्थनगर		
	सोनभद्र		

उत्तर प्रदेश में 42 फीसदी बच्चे कुपोषित है। प्रदेश सरकार इतने बच्चों को पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त भोजन भी उपलब्ध नही करा पा रहा है। नवम्बर 2014 में प्रदेश सरकार ने राज्य पोषण मिशन के जरिए कुपोषण को खत्म करने के प्रयास किए हैं। पूरे विश्व में कुपोषण से सर्वाधिक मौंते भारत से ही होती है। भारत में कुपोषित 100 जिलों में से 41 अकेले उत्तर प्रदेश के है। कुपोषण के ऑकड़े दो बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं। (1) कुपोषण के स्तर पर इसे दूर करने की जितनी कोशिशें हुई उनमें क्रियान्वयन के स्तर पर असफलता ही मिली है। (2) गरीबी के अहम प्रमाण कुपोषण को कभी राजनीतिक दलों ने मुद्दा नही बनाया।[2]

कुपोषित बच्चों को मिलने वाली खाद्य सुरक्षा

प्रदेश में कुपोषित 13 लाख बच्चों के परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभार्थी बनाया गया है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल और जरुरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मातृत्व सप्ताह मनाना भी शुरु किया गया है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल व सफाई पर विशेष ध्यान देने की भी व्यवस्था की गयी है। बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों को ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा दिए जाने वाले बाल विकास पुष्टाहार व्यवस्था के कुशल व निष्पक्ष संचालन का भी प्रबन्ध किया गया है।[3]

मिड डे मील व खाद्य सुरक्षा योजना

स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील के तहत दिए जाने वाले भोजन का अनाज गाँव के ग्रम प्रधान द्वारा कोटेदारों से दिलाया जाता है। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील न मुहैया कराकर अनाज और परिवर्तन लागत की धनराशि हड़पने वालों की येाजना अब सफल नही होगी। मिड डे मील न दिए जाने पर स्कूलों में अब बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना – 2013 के तहत मध्यान्ह भोजन नियमावली को अधिसूचित करते हुए नयी व्यवस्था लागू की गयी है और राज्यों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

नियमावली में कहा गया है कि यदि अनाज, खाना पकाने की राशि (परिवर्तन लागत), ईधन उपलब्ध न होने या रसोईया–सह–हेल्पर के अनुपस्थित रहने या किसी और कारण से किसी भी स्कूल में मिड डे मील उपलब्ध नही कराया जाता है तो राज्य सरकार हर बच्चे को अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध करायेगी। भत्ता की गणना बालक/बालिका की पात्रता के अनुसार अनाज की मात्रा और राज्य मे उस समय प्रभावी खाना पकाने की लागत के आधार पर की जायेगी। लगातार 3 दिन या महीने में 5 दिन मिड डे मील न दिए जाने पर संबंधित एजेंसी पर कार्यवाही की जायेगी। केन्द्रीकृत पाठशाला द्वारा भोजन की आपूर्ति न करने पर राज्य सरकार केन्द्रीकृत पाठशाला से खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूलेगी। मिड डे मील न मिलने की एवज में बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने के तौर तरीकों पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के साथ विचार विमर्श किया जायेगा।[4]

मध्यान्ह भोजन की मौजूदा व्यवस्था

कक्षा एक से पाँच –

- अनाज आवंटन – 100 ग्रा0 गेहूँ/चावल प्रति बच्चा, प्रतिदिन
- परिवर्तन लगात – 3.76 रुपये प्रति बच्चा, प्रतिदिन

कक्षा 6 से 8 तक

- अनाज आवंटन –150 ग्राम/गेहूँ/चावल प्रति बच्चा, प्रतिदिन
- परिवर्तन लागत – 5.64 रुपये प्रति बच्चा, प्रतिदिन

उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जंग के लिए अब कनाडा सहयोग करेगा। 15 वर्ष तक चलने वाले एक विशेष कार्यक्रम में 'एक सही शुरुआत' से 1. 7 करोड़ महिलाओं, बच्चों व किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल की जायेगी। प्रदेश में 14 लाख अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हैं, प्रदेश में 15 से 49 वर्ष के 50 फीसदी महिलायें एनीमिया से ग्रस्त है, 15 से 18 वर्ष आयु की 37% किशोरियों कम वजन की हैं। उनसे निपटने के लिए 2020 तक कनाडा के सहयोग से चलने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के 18 जिलों में 14 लाख नवजात शिशुओं व माताओं की देखभाल की जायेगी। 10 जिलों में 1.5 करोड़ किशोरियों को कुपोषण से निजात दिलाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। चार जिलों में 6.5 लाख बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाना भी इस अभियान का हिस्सा होगा।[5]

प्रदेश सरकार व टाटा ट्रस्ट के बीच दिसम्बर 15 में कुपोषण, शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए अनुबंध पत्र (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किया गया हैं। टाटा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में कुपोषण, गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों में खून की कमी (एनीमिया) व कम वजन को दूर करने के प्रयास करेगी।

राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन कराकर कुपोषित बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं कुपोषण समिति के लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रति राजस्व गांव 10 हजार रुपये वार्षिक की दर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन के निर्देश दिए गये। पोषण मिशन की बनायी फिल्मों व रेडियों जिंगल आदि का प्रसारण जनवरी 16 से टी0 वी0 चैनलों, सिनेमाघरों आदि से कराने को कहा गया है तथा गर्भवती महिलाओं व अति कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नियमित निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश भी हैं।[6]

आंगनबाड़ी केन्द्र व बाल विकास पुष्टाहार योजना

प्रदेश में डेढ़ लाख आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। नियमों के तहत प्रत्येक केन्द्र में शौचालय, रसोईघर होना चाहिए ताकि बच्चों को साफ सुथरी खाद्य सामग्री मिल सके पर मूलभूत सुविधायें तो दूर 19704 केन्द्र तो खुले असमान के नीचे चलते हैं या पेड़ों के नीचे चल रहे है। गर्मियों में सुबह 8 बजे से दो बजे व सर्दियों में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलने का समय है। इस तरह बच्चों को घंटों खुले मैदान में रहने से कुपोषण खत्म होना तो दूर उल्टे उनके बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी आगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं बच्चों के अक्षर ज्ञान की पुस्तकें, किताबें, खिलौने व कुछ दवाइयां आदि पास के स्कूलों में रखवा देती है।

तीन वर्ष के बच्चों को रोज 120 ग्राम व 3 से 5 वर्ष के बच्चों को 140 ग्राम पुष्टाहार के साथ 50 ग्राम नाश्ता भी दिया जाता है। 65 जिलों में ये आंगनवाड़ी केन्द्र खुले आसमान के नीचे या फिर किसी स्कूल के बरामदे में चल रहे है। केवल 10 जिले फर्रुखाबाद, कुशीनगर, महराजगंज, जालौन, बस्ती, फैजाबाद, भदोही, सोनभद्र, हापुड़ व संभल में ये केन्द्र कमरे में चलाये जा रहे हैं।[7]

राज्य पोषण मिशन के तहत कराए गये सर्वे में सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही दो लाख से

अधिक बच्चों के कुपोषण का शिकार का उल्लेख है। यह आंकड़े आंगनबाड़ी कार्यक्रम व मध्यान भोजन योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के जिम्मेदार अधिकारी व सरकार पर भी सवाल खड़ा करते हैं। प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चों के पौष्टिक खाने में हॉट कुक्ड मील के अलावा पंजीरी, दूध और फलों का वितरण शुरु किया गया है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन के अलावा उनको अधिक से अधिक स्तनपान कराने को भी प्रेरित किया जा रहा है।

कुपोषण से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी के अलावा गांव में पोषण टोलियों का गठन ग्राम पंचायत के लोगों की मदद से टोलियों का गठन कर प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुपोषण से मुक्त कराने के लिए सरकारी अफसर मंडलायुक्त, डी0एम0 व सी0डी0ओ0 सहित कई अफसर गांवों को गोद ले रहे हैं। समय – समय पर ये अफसर गांवों में जाकर बच्चों की नाप तौल कराकर उनके स्तनपान की भी जांच कर रहे हैं।[8]

मध्यान्ह भोजन योजना में अब बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए ताजे व मौसमी फल प्रत्येक सोमवार तथा बुधवार को दूध भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 5 वर्ष तक के बच्चों व कुपोषित बच्चों व गर्भवती माताओं को दिन में एक बार अतिरिक्त फूड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 1 लाख 87 हजार 997 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर व्यवस्था की गयी है। इसके लिए बाल विकास विभाग ने 60528 करोड़ रुपये 2016–17 में खर्च होने का अनुमान है। इसमें 60 फीसदी धन केन्द्र सरकार व 40 फीसदी राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी।

सर्वाधिक प्रभावित

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जिलों में 2 लाख 30 हजार अंत्योदय परिवारों को सूखा राहत सामग्री भी दी जा रही है। पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधि0 के तहत चार माह तक निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश भी दिया गया है। पेयजल की किल्लत दूर करने हेतु 3226 इंडिया मार्का – 2 हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए 21.57 करोड रुपये की धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है। इसके अलावा 440 वॉटर टैंकर्स खरीदने के लिए 10 करोड रुपये भी उपलब्ध कराए गए हैं।[9]

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है और पात्र परिवारों को दो रुपये किलो गेहूँ और तीन रुपये किलो चावल दिया जा रहा है। बुंदेलखण्ड में 39060.105 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। यह आवंटन 73.64 फीसदी आबादी के लिए पर्याप्त है। 31 मार्च 2016 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हित लाभार्थियों की कुल संख्या कुल जनसंख्या के सापेक्ष 76.92% है। इसी के अनुरुप खाद्यान्न आवंटन की केन्द्र सरकार से मांग की गई है। फसलों की क्षति के मद्देनजर 1261.04 करोड रुपये राष्ट्रीय आपदा निधि से स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। अब भुख से हुए मौतों की सीधी जिम्मेदारी डी0एम0 (जिलाधिकारी) की ही होगी।[10] केन्द्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने बुन्देलखण्ड के 7 जिलों (बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर व महोबा) में 1304 करोड की सूखा राहत की मंजूरी दी गयी है। यह आपदा राहत राशि प्रभावित लोगों के बैंक खाते में 7 दिनों में भेजने का निर्देश है। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न आपूर्ति में आधार नम्बर व मरनेगा के जॉब कार्ड को प्राथमिकता देगी।

सूखा प्रभावित उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड व यमुना पार के क्षेत्र में अकाल, भुखमरी व कुपोषण की समस्या विकराल होने से

कठिन हालात पैदा हुए है। बुन्देलखण्ड की भयावह स्थिति पर 'स्वराज अभियान'[11] के निदेशक योगेन्द्र यादव की निगरानी में 27 तहसील के 108 गांवों में 1206 परिवारों से पूछताछ के बाद एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गयी, जिसमें इस क्षेत्र की भयावह तस्वीर देश के सामने आयी।

पिछले 8 माह में 53% गरीब परिवारों ने दाल के दर्शन नही किए और हर पांचवे परिवार को कम से कम एक दिन भूखे सोना पड़ा। होली पर्व के बाद 60 फीसदी परिवार गेहूँ, चावल के बदले मोटे अनाज व आलू का प्रयोग कर पेट भर रहे है। औसत परिवारों को महीने में केवल 13 दिन सब्जी मिली। बच्चों व बड़ों को मात्र 6 दिन दूध मिला। 19% गरीब परिवार महीने में कम से कम एक दिन भूखे सोने को मजबूर हुए। लगातार सूखा प्रभावित रहने से इन्सानों के साथ – साथ पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं।

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून

आवादी और क्षेत्र के लिहाज से अन्य राज्यों के मुकाबलें उत्तर प्रदेश काफी बडा हैं। अतः किसी भी योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में अपेक्षाकृत ज्यादा वक्त लगना स्वाभाविक हैं। सभी राज्यों में एक साथ खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने की दशा में खाद्यान्न की कमी की आशंका को खत्म करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक व रणनीति स्टॉक को बढ़ा दिया हैं। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर कुल 6.14 करोड टन अनाज की जरुरत होगी। इसके लिए सरकार ने अनाज की उपलब्धता बनाए रखने हेतु बफर व रणनीतिक स्टॉक को बढ़ाने का फैसला लिया।[12]

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड के लिए आधार और बैंक खाता संख्या को अनिवार्य कर दिया है। राशन कार्ड के लिए अभी तक मतदाता पहचान पत्र संख्या ही देनी रहती थी, लेकिन अब उसका विस्तार कर बायोमीट्रिक सिस्टम लागू किए जाने की योजना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0 डी0 एस0) उपभोक्ताओं के पास वर्तमान में वर्ष 2005 में जारी राशन कार्ड हैं। इनकी वैधता अवधि 2011 में समाप्त भी हो चुकी है।[13]खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के करीब साढ़े सोलह करोड़ परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। जिसमें गरीबी रेखा के नीचे बी0 पी0 एल0 व अंत्योदय के अलावा सामान्य श्रेणी ए0 पी0 एल0 परिवार बड़ी संख्या में हैं।

प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के चयन (सर्वे फार्म) का प्रारुप तय कर दिया है। तय प्रारुप में ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंसी हथियार, कार, ए0 सी0, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर व 5 के वी ए जनरेटर रखने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा के राशन के लाभ से वंचित कर दिए गए है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सर्वे के अलग – अलग प्रारुप बनाए गए है। सर्वे फार्म में 5 श्रेणी के 50 से अधिक बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में सौ वर्गमीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर निर्मित मकान, सौ वर्गमीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट, 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान वाले परिवार भी खाद्य सुरक्षा से बाहर कर दिए गए हैं।

गरीबों के लिए राहत की बात यह है कि 19 हजार वार्षिक आय वाले ग्रामीण और 24 हजार वार्षिक आय वाले शहरी बी0 पी0 एल0 की सीमा अब बढ़ा दी गयी है। अब दो लाख वार्षिक आय वाले ग्रामीण और 3 लाख वार्षिक आय वाले शहरी परिवार खाद्य सुरक्षा के दायरे में लिए गए है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के 60 फीसदी शहरी और 80 फीसदी ग्रामीण खाद्य सुरक्षा के हकदार होगें। सरकार के इस पहल से प्रदेश में कुल 20 करोड आबादी में 15. 20 करोड के लाभान्वित होने का अनुमान है।

खाद्य सुरक्षा सर्वे फार्म के प्रमुख बिन्दु

परिवार के मुखिया का नाम हिन्दी और अंग्रेजी में, फोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड, बैंक का नाम, इपीक नम्बर, आधार कार्ड नम्बर, स्थायी निवास का विवरण, वर्तमान निवास का विवरण, उचित दर विक्रेता का नाम, परिवार की कुल वार्षिक आय, गैस कनेक्शन है या नहीं, गैस कनेक्शन की संख्या, गैस कम्पनी का नाम, गैस एजेन्सी का नाम, गैस आपूर्ति सिलेण्डर से है या पाइप से, ई–मेल आई0डी0, परिवार के सदस्यों का विस्तृत ब्यौरा और फोटो शामिल है।

खाद्य सुरक्षा के क्या – क्या लाभ है

खाद्य सुरक्ष लागू होने के बाद गरीबों को दो रुपये किलो गेहूँ, तीन रुपये किलो चावल और एक रुपये किलो की दर पर अन्य मोटा अनाज उपलब्ध कराने की योजना है। अंत्योदय परिवारों को प्रति यूनिट पाँच किलो अनाज प्रतिमाह जबकि अन्य गरीब परिवारों को अधिकतम 35 किलो अनाज देने का प्रावधान किया गया है।[14]

खाद्य सुरक्षा के तहत उन लोगों की शामिल किया गया है जो आयकर दाता न हो। ए0 सी0, चौपहिया वाहन, हार्वेस्टर, 5 किलोवाट से अधिक का जनरेटर आदि न हो। परिवार में यदि किसी के नाम 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या शस्त्र लाइसेंस है तो उन्हें भी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नही किया जायेगा। योजना में शामिल होने वाले योग्य परिवारों का चयन सत्यापन के जरिए किया जाना है। शहरी क्षेत्र में यह काम नए सिरे से होना है जबकि ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा स्तर पर बनी सूची को तीन पैमाने पर परखा भी जा रहा है।

आर्थिक रुप से कमजोर व समृद्ध परिवारों को अलग – अलग सूची में दर्ज करने के साथ ऐसे परिवारों की भी अलग से सूची भी बनानी जा रही है। जो पिछले सर्वेक्षण में छूट गए थे। गाँवों में यह काम लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारियों के जरिए कराया जा रहा है जबकि शहरी क्षेत्र में वार्ड वार सत्यापन का काम वी0 एल0 ओ0 (बूथ लेवल अधिकारी) और राशन दुकानों से वितरण के सत्यापन के लिए विभिन्न विभागों से आने वाले पर्यवेक्षण अधिकारियों के माध्यम से कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन

खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग ने जो आयोग का गठन किया है उसमें अध्यक्ष पद पर चयन में अखिल भारतीय सेवा या राज्य के किसी अन्य सिविल सेवा के सदस्य या कृषि रसद, पोषण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य, जिला, ब्लाक और गाँव स्तर पर सतर्कता समितियों का भी गठन किया गया है। इसके लिए वित्त, न्याय, नगर विकास और पंचायतीराज विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज न मिलने की शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी और आयोग में भी की जा सकती है।

ढांचा – आयोग में अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सदस्य सचिव, वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार एवं सहायक लेखाकार 7 वैयक्तिक सहायक, 8 वरिष्ठ सहायक, 10 कनिष्ठ सहायक, दो वाहन चालक और 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी नियुक्ति शामिल है।[15]

गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाई गई केन्द्र सरकार की

महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए ए0 पी0 एल0, बी0 पी0 एल0 व अंत्योदय श्रेणी के सभी राशन कार्ड धारकों की कम्प्युटराइज्ड फीडिंग किया गया है। इसमें राशन कार्ड धारक का नाम, कोटेदार का नाम, पता तथा भेजी जाने वाली खाद्यान्न सहित पूरी जानकारी अपलोड की गयी है। इसके अलावा विभाग के गोदाम डिपो सहित कार्डधारक के परिवार की महिला मुखिया की जानकारी को अलग से उसे कमप्यूटर पर फीड किया जा रहा है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून के लिए पात्र राशन कार्ड धारकों की सूची और आधारकार्ड नम्बर भी लिंक किये जा रहे है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश की लगभग 75% आबादी को आच्छादित किया जाना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 79.36% व शहरी क्षेत्र में 64.43% आबादी को सस्ते दर पर अनाज दिया जायेगा। इस समय सिर्फ अंत्योदय योजना के तहत 40.94 लाख कार्ड धारकों को दो रुपये प्रति किलो गेहूँ व 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है।

अंत्योदय अन्न योजना के तहत लगभग दो करोड़ चार लाख की जनसंख्या आच्छादित है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 11% ही है। बी0 पी0 एल0 योजना के कार्ड धारकों को 5 रुपये प्रति किलो गेहूँ व 7 रुपये प्रति किलो चावल तथा ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को सिर्फ 7 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ दिया जा रहा है।[16]

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से प्रदेश के 24 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया तथा शेष 54 जिलों में योजना 1 मार्च से लागू किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को तीन किलो गेहूँ व दो किलो चावल अर्थात कुल 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। जिन जिलों में इसे जनवरी से लागू किया। वहॉ सुरक्षित भण्डार की व्यवस्था अगले माह तक अवश्य कर लिया जायेगा। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता व अनियमितता रोकने के लिए सतर्कता निगरानी समितियों का गठन जिला, ब्लाक व ग्राम स्तर पर कराया जायेगा। जिसमें आम नागरिकों को भी सदस्य के रुप में शामिल किया जायेगा। प्रत्येक जिले के कम से कम एक नगरीय क्षेत्र के सभी उचित दर की दुकानों के लाभार्थियों की कम्प्यूटर पर फीडिंग करा के पी0ओ0एस0 डिवाइस से वितरण की व्यवस्था शुरु की गयी। प्रथम चरण में शामिल प्रदेश के 28 जिले आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानुपर नगर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सन्तकबीरनगर व सिद्धार्थनगर है।[17] बुन्देलखण्ड के चित्रकूट धाम मण्डल के कर्वी, महोबा, हमीरपुर, व बांदा को भी शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 22 राज्यों में लागू हो चुका है, शेष राज्यों में 31 मार्च 2016 तक लागू होने का भरोसा दिया। उससे देश में गरीबी दूर होगी तथा 67 फीसदी आबादी को 2 रुपये किलो गेहूँ व 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। यदि यह कानून ईमानदारी से अमल किया गया तो राशन प्रणाली शत–प्रतिशत पारदर्शी हेा जायेगी। प्रत्येक उपभोक्ता बायोमीट्रिक से जुड़ा रहेगा और उसका नाम ऑनलाइन दर्ज होगा। समूची प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से व्यवस्था चुस्त – दुरुस्त होगी। केन्द्र सरकार खाद्यान्न के एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच अनाज की ढुलाई से लेकर राशन दुकानदारों के कमीशन का दायित्व उठायेगी। राशन दुकानों से होने वाली गड़बड़ी और लीकेज रोकने के लिए रियायती दर की दुकानों का आटोमेशन किया होना जरुरी है। अप्रैल 2016 से अब किसी राज्य की अतिरिक्त अनाज की मांग को ठुकराया नही जायेगा। सभी

राज्यों में जून 2016 तक राशन प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।[18]

खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रथम चरण में 28 जिलों, दूसरे चरण में 26 तथा तीसरे चरण में 25 जनपदों में लागू होगा। इसमें पात्र परिवारों को 3,2,1 रुपया प्रति किलो चावल, गेहूँ व मोटा अनाज मिलेगा। इसके लिए सभी पात्र परिवारों को कार्ड जारी किये गये तथा सभी कार्डों पर पहले की तरह चीनी व मिट्टी का तेल दिए जाने की व्यवस्था जारी रहेगी।

उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न वितरण में अंत्योदय कार्ड पर प्रतिमाह दो रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, बी0 पी0 एल0 कार्ड पर प्रतिमाह 5 रुपये किलो गेहूँ तथा 7 रुपये किलो चावल, तथा ए0 पी0 एल0 कार्ड पर 7 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ का वितरण सुनिश्चित किया जाय। केरोसिन गैस कार्ड धारकों को 3 लीटर प्रतिमाह तथ बिना गैस कार्ड धारकों को 5 लीटर प्रतिमाह के हिसाब से वितरण कराया जाय।[19]

उत्तर प्रदेश में 2015–16 तथा 2016–17 को किसान वर्ष घोषित किए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने अप्रैल 2015 में 35 किसानों की खुदकुशी करना स्वीकारा है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 3 लाख या उससे कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को 1, 2, 3 रुपये प्रति किलो क्रमशः मोटा अनाज, गेहूँ व चावल दिया जाना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 80 तथा शहरी क्षेत्र की 65 फीसदी परिवारों को शामिल किया जाना है। जिलापूर्ति विभाग को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से सस्ते अनाज का वितरण किया जायेगा। इसके लिए आनलाइन पंजीकरण के प्रारुप में आधारकार्ड संख्या का ब्यौरा भी मांगा गया हैं लेकिन वे परिवार जिनके पास रहने के मकान नहीं है और वे सड़क के किनारे झुग्गी–झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इन परिवारों के पास पते का कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है और क्षेत्रीय पार्षद द्वारा बनाया गया निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड बनवाने में मान्य नही होता। इसलिए इन परिवारों का आधारकार्ड बनने में ही समस्या है। अतः सबसे अधिक जरुरतमंद लोगों के परिवार जिनको सबसे अधिक आवश्यकता है, वे परिवार ऐसी नीतियों से प्रभावित हेाते है।[20]

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डों की पहचान –

खाद्य सुरक्षा के लिए चयनित पात्र लाभार्थियों के राशन कार्डों की पहचान के लिए एक मुहर कार्ड पर लगायी जायेगी। मुहर लगने के बाद प्रारुप में परिवार की मुखिया का नाम भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम व प्रति माह मिलने वाले खाद्यान्न की जानकारी भी मुहर के प्रारुप पर छपी है। इससे कोटेदार को गड़बड़ी करना आसान नहीं होगा। यह मुहर क्षेत्रीय खाद्य कार्यालयों में कार्डों पर लगायी जायेगी। राशन कार्डों में इसी मुहर से कोटेदार के यहॉ इनकी पहचान भी की जा सकेगी। कोटेदार चयनित पात्रों का सूची से मिलान करने के बाद उन्हें खाद्यान्न मुहैया करायेगें। उत्तर प्रदेश में अभी दो तरह की मुहरें बनवायी गयी है। एक मुहर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अंत्योदय श्रेणी के कार्डों पर लगेगी। दूसरी खाद्य सुरक्षा श्रेणी में पात्र गुहस्थी के चयनित कार्डों पर लगायी जायेगी। यही पहचान होगी जो दूसरे अपात्र लोगों के राशनकार्डों से इनको अलग रखेगी। बाद में जो लोग राशनकार्ड बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया करने वाले लोग सत्यापन के बाद ही खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र होगें तथ इन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश के लगभग हर जिले में खाद्य सुरक्षा कानून के बाद ऐसे लोगों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

मुहर का प्रारुप

पिछले वर्ष खाद्य एव रसद विभाग, उ0 प्र0 द्वारा जो नए डिजिटल राशनकार्ड बनाए गए थे, उनके परिवार का मुखिया पुरुष को मानते हुए वही छापा गया था। अब खाद्य सुरक्षा योजना में परिवार की मुखिया के रुप में महिला को प्राथमिकता दी गयी है। ऐसे में विभाग ने जो मुहर बनवायी है उसमें महिला का नाम लिखना अनिवार्य होगा। प्रति माह खाद्यान्न की मात्रा आदि की जानकारी भी मुहर के प्रारुप में हैं। इससे कार्डधारकों को बगैर किसी गड़बड़ी के पूरा अनाज मिल सकेगा।

अंत्योदय श्रेणी को 35 किग्रा तथा पात्र गृहस्थी कार्ड में प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को 10 किलो गेहूँ व 25 किलो चावल मिलेगा जबकि पात्र गृहस्थी वाले कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा। मुहर के प्रारुप में गेहूँ 2 रुपये व चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से मिलने की जानकारी भी शामिल है।[21] प्रदेश सरकार ने प्राथमिक गृहस्थी की श्रेणी में शामिल कुल 65.84 लाख बी0पी0एल0 लाभार्थियों को अंत्योदय श्रेणी में शामिल करने और इसी अनुसार खाद्यान्न का आवंटन कराने का केन्द्र से अनुरोध किया गया है। साथ ही 7 यूनिटों से अधिक के अंत्योदय योजना के परिवारों को पात्र गृहस्थी में शामिल करने और उसके स्थान पर नए लाभार्थियों को अंत्योदय श्रेणी में शामिल किए जाने की अनुमति केन्द्र से की गयी है।

खाद्य सुरक्षा कानून में जिन परिवारों का चयन हुआ है तथा जिनके डिजिटल राशन कार्ड (2013) अभी नही बन पाये है, यदि बने है तो उनमें ज्यादातर त्रुटियां हैं, ऐसे परिवारों को राशन कैसे मिले। इसके लिए खाद्य विभाग ने चयनित परिवारों को अस्थाई राशन कार्ड का ड्राफ्ट प्रारुप देगें। नया राशन कार्ड बनने तक इसी प्रारुप में खाद्यान्न वितरण की प्रविष्टियॉ भी दर्ज होती रहेगी। खाद्य विभाग के प्रारुप में परिवार की मुखिया के रुप में महिला का नाम अंकित होगा। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण जिसमें यूनिट, पता, जाति आदि की जानकारी रहेगी।

जिन परिवारों को कार्ड मिल चुके है लेकिन उनमें अगर त्रुटियॉ है तो उनकी कमियां भी दूर की जायेगी। चयनित परिवार को ए–4 साइज के कागज के दो हिस्से में पूर्व में राशन कार्ड बनाने के लिए भरे गये फार्म और आनलाइन डाटा में दर्ज जानकारी को छापकर दिया जायेगा। इनमें से एक प्रारुप को कार्डधारक से उसे आनलाइन डाटा में दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कराकर वापस ले लिया जायेगा। एक प्रारुप को कार्डधारक अपने पास रखेगें जिसके माध्यम से उन्हें खाद्यान्न मिलेगा। यह कार्ड केवल राशन के लिए मान्य होगा न कि पहचान प्रमाण पत्र के रुप में।[22]

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना का प्रथम चरण 1 जनवरी 2016 को 28 जिलों तथा दूसरा चरण 1 मार्च 2016 को शेष 47 जिलों में लागू किया गया है। इसमें दो रुपये की दर से 10 किलो गेहूँ तथा 3 रुपये किलो की दर से 25 किलो चावल दिया जाता है। गांवों की 80 फीसदी आबादी तथा शहरों की 65 फीसदी आबादी को इस योजना का लाभ मिलता है।

महिला ही होगी मुखिया – खाद्य सब्सिडी के राशन कार्ड सम्बन्धित परिवार की महिला मुखिया के नाम ही बनेगें। जिस परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलायें होगी, उन परिवारों में पुरुष के नाम नही बल्कि महिला के नाम ही खाद्य सब्सिडी के कार्ड बनेंगे।

ग्रामीण में दो तो शहरी क्षेत्र में तीन लाख की आय – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिवार की आमदनी ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये सालाना से कम है ओर शहरी के पूरे

परिवार की आमदनी 3 लाख रुपये से कम हो तभी उनका चयन किया जायेगा। अंत्योदय योजना के तहत जिन लोगों के पास राशनकार्ड है उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा।

पात्र व्यक्ति – अंत्योदय योजना के सभी राशन कार्डधारक, भिक्षावृत्ति करने वाले लोग, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, कुष्ठ आश्रम एवं मलिन बस्तियों के लोग, स्वच्छकार, भूमिहीन मजदूरों के परिवार कुष्ठ व एड्स रोग से पीड़ित व्यक्ति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (आवेदन के बाद सभी को आय प्रमाण पत्र देना होगा।)[23]

खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्रों तक पहुँच रहा है या नही इसकी जाँच रेंडम आधार पर की जायेगी। इसके लिए राशन कार्ड धारकों के मोबाइल नम्बर भी फीड कराके रैंडम आधार पर काल करके चेंकिंग की जायेगी। अगर लाभार्थी को समय से राशन नही मिला तो फिर सम्बन्धित कोटेदार का लाइसेंस तत्काल निलम्बित किया जायेगा। आमतौर पर राशनकार्ड धारकों की शिकायत रहती है कि कोटेदार ने राशन नही दिया या फिर वितरण की सही सूचना नहीं दी। इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए रेंडम सर्वे कराया जायेगा।

केन्द्र सरकार के मार्च 2019 तक देश की सभी 5.35 लाख उचित दर की दुकानों में स्वचालन सुविधाएं (इलेक्ट्रानिक प्वांइट ऑफ सेल) लागू करने का लक्ष्य है। अभी तक 91 हजार ऐसी दुकानों में यह सुविधा शुरु हो पायी है। मार्च 2017 तक जन वितरण प्रणाली की उचित दर की 3 लाख दुकानों में स्वचालन सुविधाएं लक्ष्य हैं, जबकि खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण करने की योजना प्रयोग के तौर पर 3 केन्द्र शासित प्रदेशों चण्डीगढ़, पडुचेरी और दादरा और नगर हवेली में शुरु की गयी है।[24]

उत्तर प्रदेश सरकार हर गरीब को राशन उपलब्ध कराने को लेकर गम्भीर है। जून 2016 तक पात्र गृहस्थी योजना के तहत हर गरीब को सरकार राशन उपलब्ध करा देगी। 2013 में लागू खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले बी0पी0एल0 सूची से छूटे उन सभी गरीबों को पात्र गृहस्थी योजना से जोड़ने का काम अभी जारी है।

प्रदेश सरकार ने 75 में से 50 सूखाग्रस्त घोषित जिलों में 6 माह तक सस्ते दर से गेहूँ, चावल और अंत्योदय कार्ड धारकों को अरहर की दाल व सरसों का तेल न होने पर सरसों उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि वह अपने खर्च पर सूखाग्रस्त जिलों में सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें। अलबत्ता वितरण, परिवहन व मार्जिन मनी पर व्यय होने वाली राशि वहन करने को राज्य सरकार तैयार है। विगत 10 वर्षों में हर दूसरे वर्ष सूखे की स्थिति से खाने – पीने की समस्या के साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव की आशंका है। सूखाग्रस्त जिलों में 28 लाख परिवार अंत्योदय श्रेणी के हैं। इन परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 32 हजार मीट्रिक टन गेहूँ व 68 हजार मीटिक टन चावल की खपत हेागी। सूखाग्रस्त जिलों की कुल जनसंख्या में से अंत्योदय श्रेणी की जनसंख्या घटाने पर 11 करोड़ की जनसंख्या शेष रह जाती है।

राज्य सरकार का मानना है ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 का भेद किए बगैर इन सभी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 का लाभ दिया गया। 3 किलोग्राम गेहूँ व 2 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का वितरण 6 माह तक कराये जाने की आवश्यकता है। सूखाग्रस्त जिलों के समस्त अंत्योदय परिवारों को व पात्रों के लिए दो किग्रा अरहर की दाल व 1 किग्रा खाद्य तेल प्रति परिवार के हिसाब से हर माह वितरित कराया जाए। इसके लिए प्रतिमाह 37 हजार

मीट्रिक टन गेहूँ 29 हजार मीट्रिक टन चावन, 38 हजार मीट्रिक टन अरहर की दाल व 1.89 करोड़ लीटर खाद्य तेल की आवश्यकता है।

यदि खाद्य तेल उपलब्ध कराना सम्भव न हो तो विकल्प के तौर पर 2 किलो प्रति परिवार सरसों, अलसी या तिल हर माह बॉटने के लिए 38 हजार मीट्रिक टन सरसों सब्सिडाइज्ड दर पर आवंटित कराई जाय। इसे 50 सूखाग्रास्त जिलों में नागरिकों को विषम परिस्थितियों से उबरने में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हेागी।[25]

प्रदेश के सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यदि भूख से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो सीधे जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय कर दण्डित किया जायेगा। बांदा, महोबा व बुन्देलखण्ड के सूखा प्रभावित अंत्योदय परिवारों को खाद्य सामग्रियों के राहत पैकेज योजना का शुभारम्भ भी किया गया है। लाभार्थियों को राहत पैकेट देने के लिए पारदर्शी व्यवस्था अपनाने पर भी बल दिया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे से प्रभावित अंत्योदय परिवारों की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में समाजवादी सूखा राहत सामग्री वितरण योजना संचलित की है। इसके तहत प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 10 किलो आटा, 5 किलो चावल 5 किलो चने की दाल, 5 ली0 सरसों का तेल, 25 किलो आलू, 1 किलो शुद्ध देशी घी, 1 किलो मिल्क पाउडर, चीनी, हल्दी व नमक दिया जायेगा। यह सामग्री बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सातों जिलों में 2 लाख 30 हजार अंत्योदय परिवारों को अगले 3 माह तक निःशुल्क दिए जायेगें। राजय सरकार का यह प्रयास है कि सभी गरीब परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जाए। बुन्देलखण्ड में सूखा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 रुपये व 3 रुपये प्रति किलो गेहूँ व चावल की दर से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न का भुगतान, मनरेगा के तहत 100 के स्थान पर रोजगार दिवस की संख्या बढ़ाकर 150 दिन तथा पात्र परिवारों को शत प्रतिशत समाजवादी पेंशन योजना के तहत आच्छादित करने का फैसला पूर्व में लिया जा चुका है।[26]

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने पर दो तरह की कमियां दिखलायी देती है –

1. पात्र परिवारों के चयन में हर जिले में गड़बडियां हुई है। हर जिले में सतही सर्वेक्षण व अव्यवस्थित तरीके से फीडिंग की गयी। इसमें पात्र परिवारों से न तो पर्याप्त दस्तावेज जमा कराए गये, न ही ठीक तरह से सत्यापन कराया गया। इसके कारण अधिकतर जिले में सूची अविश्वसनीय हो गयी है।

2. दूसरी कभी राशन के उठान की है। राज्य खाद्य निगम (एस0एफ0सी0) की वेबसाइट बताती है कि दो दर्जन जिलों में भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) से उठान कर राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुचाने की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन कई जिलों में उस एस एफ सी शायद ही कभी रोस्टर के अनुसार यह काम कर पाया हो। आर एफ सी और एस एफ सी के काम का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद शासन को यह तय करना चाहिए कि यह काम दोनों सस्थाओं में से किससे कराना बेहतर होगा।

निष्कर्ष

विगत 10 वर्षों में देश के काफी हिस्से सूखा, अकाल व भुखमरी आदि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सूखा प्रभावित लेागों को राहत देने के लिए देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और चुस्त – दुरुस्त करने की वकालत की है। देश के सभी नागरिकों को भेाजन उपलब्ध कराने के लिए अब तक कोई नीति नही थी लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून 13 के बाद इसे प्रभावी रुप से लागू करने

पर सरकारें को जोर देना चाहिए। केन्द्र व राज्य सरकारों को खाद्यान्न के उचित भण्डारण के साथ कुशल वितरण का प्रबन्ध भी करना चाहिए तथा खाद्यान्नों की बर्बादी से बचना चाहिए। उसने केन्द्र सरकार की रिपोर्ट को हवाला देते हुए बताया कि 10 राज्यों के 254 जिले सूखे से जूझ रहे हैं तो उनकी एक चौथाई आबादी जो बुरी तरह से प्रभावित है, उनमें जरुरतंद लोगों को खद्यान्न का वितरण पी0डी0एस0 प्रणाली द्वारा निष्पक्षता से किया जाना चाहिए।

भारत में तेज आर्थिक विकास और कुछ पात्रताओं या हकदारियों के बावजूद भारत के गरीब ग्रामीण भयावह वंचना और खाद्य असुरक्षा का जीवन जीने को विवश है। भुखमरी, कुपोषण आदि समस्याओं से बचाव का सबसे आसान तरीका मनरेगा, पी0डी0एस0 व स्कूल में भोजन मुहैया कराने का बेहतर बंदोबस्त या तवज्जों दिया जाना चाहिए। सरकारी स्रोतों के अनुसार देश के 10 राज्यों में सूखा है तथा 33 करोड़ आबादी के सामने रोजी – रोटी का संकट है। गैर सरकारी स्रोतों के अनुसार 14 राज्यों में 56 करोड़ आबादी संकट में है। इनके भावी जीवन को भुखमरी व गरीबी से बचाए रखना जरुरी है। आज भारत बेहतर स्थिति में है कि उसके पास सार्वजनिक समर्थन का मजबूत आधार है। इसे सूखे व भुखमरी को दूर करने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।[27]

Copyright © 2016, Abhay Singh. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

[i] "फूड सिक्योरिटी एटलस ऑफ रूरल उत्तर प्रदेश" इंस्टीटयूट आफ हयूमन डेवलेपमेन्ट, 2010, पेज 1–4

[2] "कुपोषण का दाग" दैनिक जागरण, 12 मार्च 2015 पेज – 12
[3] "कुपोषित बच्चों को मिलेगी खाद्य सुरक्षा", दैनिक जागरण, 6 अक्ऊबर 2015 पेज – 13
[4] दीक्षित राजीव, "मिड डे मील न दिया तो देना होगा खाद्य सुरक्षा भत्ता", दैनिक जागरण, 16 अक्टूबर 2015 पेज 19
[5] "कुपोषण से जंग के लिए कनाडा ने मिलाए हाथ", दैनिक जागरण 4 दिसम्बर 2015 पेज – 13
[6] "अस्पताल पहुचाये जांच अति कुपोषित बच्चे", दैनिक जागरण, 20 दिसम्बर 2015 पेज – 17
[7] अहमद परवेज, "पेड़ों के नीचे हो रही कुपोषण से लड़ाई", दैनिक जागरण, 12 मार्च 2016 पेज – 15
[8] वाजपेयी राजीव, "राजधानी में ही दो लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित", दैनिक जागरण, 17 मार्च 2016 पेज – 3
[9] दैनिक जागरण, 5 मई 2016 पेज – 8
[10] ''भूख से मौतों पर डी एम की होगी जिम्मेदारी", 6 मई 2016, दैनिक जागरण पेज – 15
[11] यादव, योगेन्द्र, "बुन्देलखण्ड की भयावह स्थिति पर सर्वे रिपार्ट" 2015
[12] "बढ़ाया गया अनाज का बफर स्टॉक", दैनिक जागरण, 17 जनवरी 2015 पेज 17
[13] "राशन कार्ड के लिए बैंक खाता व आधार जरुरी", दैनिक जागरण, 24 जनवरी 2015 पेज 3
[14] "हथियार रखने वाले नही होगे हकदार" दैनिक जागरण, 1 फरवरी 2015 पेज 9
[15] "खाद्य सुरक्षा आयेाग को हरी झण्डी आज" दैनिक जागरण, 4 फरवरी 2015 पेज – 19
[16] "एक साथ लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून" दैनिक जागरण, 10 नवम्बर 2015 पेज – 11
[17] 24 जिलों में लागू होगी खाद्य सुरक्षा योजना", दैनिक जागरण, 21 नवम्बर 2015 पेज – 17
[18] खाद्य सुरक्षा कानून से दूर होगी गरीबी" दैनिक जागरण, 24 नवम्बर 2015 पेज 13
[19] "उचित दरों की दुकान से खाद्य सामग्री उपलब्ध करायें", दैनिक जागरण, 4 दिसम्बर 2015 पेज 13
[20] "खाद्य सुरक्षा के आवेदन में बाधक बना आधारकार्ड" राष्ट्रीय सहारा, 2 जनवरी 2016 पेज 16
[21] त्रिपाठी धीरज, "राशन कार्डों की पहचान मुहर से" दैनिक जागरण, 16 जनवरी 2016 पेज – 2
[22] त्रिपाठी धीरज, "नए राशन कार्ड की जगह अब अस्थाई प्रारुप", दैनिक जागरण, 28 जनवरी 2016 पेज 6
[23] "खाद्य सुरक्षा की उल्टी निती शुरु", दैनिक जागरण, 14 फरवरी 2016 पेज 4
[24] "राष्ट्रीय सहारा, 12 मार्च 2016 पेज 14
[25] केन्द्र से मांगा गेहूँ, चावल और दाल, दैनिक जागरण, 17 मार्च 2016 पेज 11
[26] "बुन्देलखण्ड के 80 लाख परिवारों को समाजवादी सूखा राहत सामग्री" दैनिक जागरण 20 अप्रैल 2016 पेज 11
[27] द्रेज ज्यां, "कार्यवाही का सूखा", राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप, 30 अप्रैल 2016 पेज 1